MSTP/DY.No - 806
11/11/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SEC. 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION
INCOME-TAX

New Delhi, the 10th November, 2014

S.O. .... (E). – In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-clauses (iv), (v), (vi) and (via) of clause (23C) of section 10, clause (aa) of sub-section (1) of section 12A and clause (vi) of sub-section (5) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2014.
   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

(A) in rule 2C, -

Ms Rekha
11/11/14

(i) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that on or after the specified date, the prescribed authority under sub-clauses (iv) and (v) of clause (23C) of section 10 shall be the Principal Commissioner or Commissioner, to whom the application shall be made as provided in sub-rule (2).";

(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely : -

"*Explanation.*—For the purposes of this rule,-

(i) "Chief Commissioner or Director General" means the Chief Commissioner or Director General whom the Central Board of Direct Taxes may, authorise to act as prescribed authority for the

purposes of sub-clause (*iv*) or sub-clause (*v*) of clause (23*C*) of section 10 in relation to any fund or trust or institution;

(ii) "Principal Commissioner or Commissioner" means the Principal Commissioner or Commissioner whom the Central Board of Direct Taxes may, authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (*iv*) or sub-clause (*v*) of clause (23*C*) of section 10 in relation to any fund or trust or institution;

(iii) "specified date" means the date which the Central Board of Direct Taxes may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.";

(B) in rule 2CA,-

(i) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that on or after the specified date the prescribed authority under sub-clauses (vi) and (via) of clause (23C) of section 10 shall be the Principal Commissioner or Commissioner, to whom the application shall be made as provided in sub-rule (2).";

(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely : -

"Explanation.—For the purposes of this rule,-

(i) "Chief Commissioner or Director General" means the Chief Commissioner or Director General whom the Central Board of Direct Taxes may, authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 in relation to any fund or trust or institution;

(ii) "Principal Commissioner or Commissioner" means the Principal Commissioner or Commissioner whom the Central Board of Direct Taxes may, authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 in relation to any fund or trust or institution;

(iii) "specified date" means the date which the Central Board of Direct Taxes may, by notification in the Official Gazette , specify in this behalf.";

(C) in rule 11AA, in sub-rule (6), for the words "date on", the words "end of the month in" shall be substituted;

(D) in the Appendix II,-

(I) in Form 10A, for items 1 to 5, the following items shall be substituted, namely: -

"1.Name of the * trust/institution in full [in block letters]	.....
2.Permanent Account Number	.....
3.Address	.....
4.Name(s) and address(es) of author(s)/founder(s)	.....
5.Date of creation of the trust or establishment of the institution	.....
6.Name(s) and address(es) of trustee(s)/manager(s)	.....”;

(II) in Form 56, in the Notes,-

(a) for item 2, the following item shall be substituted, namely: -

"2. The application form,-

(a) filed before the specified date, should be sent to the Chief Commissioner or Director General whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act as prescribed authority, for the purposes of sub-clause (iv) or sub-clause (v) of clause (23C) of section 10, through the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the trust or institution;

(b) filed on or after the specified date, should be sent to the Principal Commissioner or the Commissioner whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (iv) or sub-clause (v) of clause (23C) of section 10.

Four copies of the application form along with the enclosures should be sent.";

(b) for item 4, the following item shall be substituted, namely: -

"4. The applicant shall furnish any other documents or information as required by the Chief Commissioner or Director General or Principal Commissioner or Commissioner or any authority authorised by the Chief Commissioner or Director General or Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be.";

(III) in Form 56D, in the Notes,-

(a) for item 1, the following item shall be substituted, namely: -

"1. The application form,-

(a) filed before the specified date, should be sent to the Chief Commissioner or Director General whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (*vi*) or sub-clause(*via*) of clause (*23C*) of section 10 through the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 of this Form;

(b) filed on or after specified date, should be sent to the Principal Commissioner or the Commissioner whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act as prescribed authority for the purposes of sub-clause (*vi*) or sub-clause (*via*) of clause(*23C*) of section 10.

Four copies of the application form along with the enclosures should be sent.";

(b) for item 3, the following item shall be substituted, namely: -

"3. The applicant shall furnish any other documents or information as required by the Chief Commissioner or Director General or Principal Commissioner or Commissioner or any authority authorised by the Chief Commissioner or Director

General or Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be.".

[Notification No. 61 /2014/F.No.142/5/2014-TPL]

Ashish Kumar

(Ashish Kumar)
Director (Tax Policy and Legislation)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969 dated the 26th March, 1962 and was last amended by the Income-tax (10th Amendment) Rules, vide notification S.O. No.2556 (E) dated 30.09.2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर, 2014

का0आ0.......(अ) - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक), धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (11वाँ संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 में,-

(अ) नियम 2ग में,-

(i) उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) और उपखंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे उपनियम (2) में उपबंधित रुप में आवेदन किया जाएगा ।';

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "मुख्य आयुक्त या महानिदेशक" से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ii) "प्रधान आयुक्त *या आयुक्त* से ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(iii) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।";

(आ) नियम 2गक में,-

(i) उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और उपखंड (viक) के अधीन विहित प्राधिकारी वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे उपनियम (2) में उपबंधित रुप में आवेदन किया जाएगा ।';

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

(i) "स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
"मुख्य आयुक्त या महानिदेशक" से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ii) "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" से ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(iii) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।";

(इ) नियम 11कक के उपनियम (6) में, "तारीख से जिसको" शब्दों के स्थान पर, "मास के अंत से जिसमें" शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) परिशिष्ट 2 में,-

(1) प्ररूप 10क में, मद 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1. *न्यास/संस्था का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
2. स्थायी खाता संख्यांक ....
3. पता ....

4. न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/संस्थापक (संस्थापकों) का/के नाम और पता/पते ....
5. न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख ....
6. न्यास (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) का/के नाम और पता/पते ....";

(2) प्ररूप 56 के टिप्पण में,-

(क) मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"2.(क) विनिर्दिष्ट तारीख से पहले फाइल किया गया आवेदन पत्र उस न्यास या संस्था पर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक (छूट) के माध्यम से उस मुख्य आयुक्त या महानिदेशक को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किया गया आवेदन पत्र उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ।

आवेदन पत्र की चार प्रतियां, संलग्नकों सहित भेजी जानी चाहिए ।";

(ख) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--
"4. आवेदक, कोई भी अन्य दस्तावेज, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को पेश करेगा ।";

(3) प्ररूप 56घ के टिप्पण में,-

(क) मद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"1(क). विनिर्दिष्ट तारीख से पहले फाइल किया गया आवेदन पत्र इस प्ररूप के क्रम संख्यांक 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था पर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक

(छूट) के माध्यम से उस मुख्य आयुक्त या महानिदेशक को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किया गया आवेदन पत्र उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ।

आवेदन पत्र की चार प्रतियां, संलग्नकों सहित भेजी जानी चाहिए ।";

(ख) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"3. आवेदक, कोई भी अन्य दस्तावेज, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को पेश करेगा ।";

[अधिसूचना सं0.61/2014, फा0सं0 142/5/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार

(आशीष कुमार)

निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 969, तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आयकर (10वां संशोधन) नियम, अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2556(अ), तारीख 30.09.2014 द्वारा संशोधित किए गए ।